भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1109
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

शुद्ध पेयजल की कमी

1109. श्री रणवीर सिंह प्रजापति:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आजादी से लेकर अब तक देश शुद्ध पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;
(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में कोई ठोस नीति न होने के कारण वर्षा व नदियों का जल व्यर्थ हो रहा है; और
(ग) क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये कोई ठोस उपाय करेगी?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) जी नहीं। राज्यों द्वारा मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दिए गए आंकड़े के अनुसार (दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार) देश में कुल 1692251 ग्रामीण बसावटों में से, 1161018 बसावटें ऐसी हैं जो कि पूर्णत: कवर की गई हैं, 448439 आंशिक रूप से कवर की गई हैं और देश में केवल 82794 बसावटें ऐसी है जहां जल के स्त्रोत गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित हैं, जिनमें स्वच्छ पेयजल आपूर्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध कराया जाना अभी शेष है।

(ख) एवं (ग) जी नहीं। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय ने भू–जल के विकास एवं प्रबंधन का नियमन करने एवं उस पर नियंत्रण करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया है, जिसमें भू–जल के पुनर्भंडारण के लिए वर्षा जल संचयन पर एक अध्याय भी शामिल है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जल नीति (2012)में अन्य के साथ–साथ देश में जल को दुरूपयोग से बचाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, उसका भण्डारण करने, जल का सुचारू उपयोग करने संबंधी सुझाव भी हैं।

जल ससाधन मंत्रालय ने "जल का संरक्षण करने, जल की बरबादी को कम करने एवं समेकित जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर एवं भीतर दोनों जगह जल के और अधिक समान मात्रा में वितरण को सुनिश्चित करने" के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन की भी शुरूआत की है। राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य "जल के सुचारू उपयोग की कुशलता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना" है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के तहत उनके द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। एनआरडीडब्लूपी के सतत् घटक के अंतर्गत स्त्रोतों एवं प्रणालियों की निरंतरता जिसमें वर्षा जल संचयन भी शामिल है, के माध्यम से पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी के आधार पर एनआरडीडब्लूपी निधियों का अधिकतम 10 प्रतिशत चिन्हित किया गया है।

****